कृषि संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों के संबंध में उच्चाधिकार शक्ति प्राप्त समिति का प्रतिवेदन

596. डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :
श्री राम जेठमलानी :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों के संबंध में उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने हाल ही में सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ख) क्या उक्त प्रतिवेदन में भारतीय खाद्य निगम के कार्यक्रम में परिवर्तन करने की सिफारिश की गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा कब और क्या निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) से (घ) सरकार द्वारा फरवरी, 1990 में श्री भानु प्रताप सिंह की अध्यक्षता में गठित की गई सलाहकार समिति ने अभी तक अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है । समिति ने कुछ अंतरिम सुझाव दिए हैं। ये सुझाव कृषि मंत्रालय के विचाराधीन हैं ।

Selection of Incumbent for Appointment to the Post of Director General, ICAR

597. DR. JINENDRA KUMAR JAIN:
SHRI RAM JETHMALANI:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the terms of office of the former Director General of I.C.A.R. expired on the 31st March, 1990;

(b) whether it is a fact that process for the selection of the new incumbent for this post was started about six months back;

(c) whether it is also a fact that the selection committee has recommended some names for the appointment; and

(d) if so, what are the reasons for not making any appointment out of those recommended names and what steps have been taken by Government to speed up this work?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI DEVI LAL): (a) Yes Sir.

(b) A Search Committee for suggesting a panel of name for consideration by Govt. for appointment of Secretary, Department of Agricultural Research & Education, who also functions as Director General, Indian Council of Agricultural Research was constituted on 17.1.90.

(c) and (d) The Committee initially submitted a panel of names; but due to certain representations, the committee was asked to reconsider the matter and submit its recommendations. Meanwhile, Secretary, Department of Agriculture & Cooperation is holding the post as an additional charge.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण

598. श्री राम नरेश यादव : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन महीनों के दौरान आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हुई वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कोई कदम उठाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्यों को नियंत्रित रखने और देश भर में, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों को मुख्य आवश्यक वस्तुयें उचित मूल्यों पर मुहैया कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा जनवरी से मार्च, 1990 की अवधि के दौरान गेहूं और चावल जैसी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ मुख्य वस्तुओं का राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटन बढ़ा दिया गया है। इसी प्रकार फरवरी, 1990 से खुले बाजार में बिक्री के लिए निर्मुक्त की जाने वाली चीनी की मात्रा में भी निरन्तर वृद्धि की गई है। हाल के महीनों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेलों के आवंटन में भी वृद्धि की गई है।

केन्द्रीय सरकार ने समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से यह भी कहा है कि वे आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और उनसे संबंधित, अन्य कदाचार करने वाले समाज-विरोधी तत्वों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के उपबंधों और अन्य ऐसे ही कानूनों को सख्ती से लागू करें।

कृषि क्षेत्र में आदानों की लागत में वृद्धि

599. सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :
श्री राम जेठमलानी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कृषि क्षेत्र में आदानों की लागत में वृद्धि के संबंध में दिनांक 18 दिसम्बर, 1989 के "दि ट्रिब्यून" में "इनपुटस कोस्टलियर इन फार्म सैक्टर" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि 80 के दशक के दौरान कृषि उत्पादन में काम आने वाली वस्तुओं के मूल्यों में जितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, उतनी प्रतिशत वृद्धि कृषि उत्पादन के मूल्यों में नहीं हुई है ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(घ) आगामी वर्षों में उत्पादन की लागत में कमी करके किसानों की क्रय-शक्ति में वृद्धि करने के लिये सरकार ने किन-किन उपायों पर विचार किया है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार, कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर विचार-विमर्श करने के बाद कृषि जिन्सों के लिये अधिप्राप्ति/न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्धारण करती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, अधिप्राप्ति/न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश करते समय, अन्य बातों के साथ-साथ, आदानों के मूल्यों में वृद्धि को भी ध्यान में रखता है।

(घ) अन्य के साथ-साथ, अवसंरचना में सुधार, कृषि का विविधिकरण और आधुनिक आदानों और प्रौद्योगिकी के कुशल उपयोग हेतु कार्यक्रम तैयार किये जाते हैं, जिससे उच्च उत्पादकता प्राप्त की जा सके और उसके फलस्वरूप उत्पादन लागत में कमी आ सके। सरकार ने फसल उत्पादन की लाभकारिता में सुधार करने के साथ-साथ फसलों की उत्पादन लागत संबंधी प्रणाली की समीक्षा करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति भी गठित की।

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर

600. सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी और गैर-